

प्रेषक,

क्षेत्रपाल
उप निधि,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मत्स्य पालक विभाग अथवा मुख्य विभाग अधिकारी/
आध्यात्मिक निदेशक-गोरखपुर/महाराजगंज/देवरिया/कुशीनगर/
सिद्धनगर/संतकबीरनगर/गोण्डा एवं मऊ उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर, 2012

विषय: शींगा पालन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय आपसे पत्र संख्या: 342/नि०शा०/2012-13 दिनांक 25-0-2012 के संदर्भ में भेजे गए पत्र के संदर्भ में आदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शींगा पालन योजनान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रकम 2,00,000/- ₹ रकम दो लाख मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रातबन्धों के अधीन आवंटित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उपरोक्त स्वीकृति धनराशि से निदेशक मत्स्य उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 192/नि०शा०/2011-12 दिनांक 10-05-2011 में लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को निजी क्षेत्र में अग्रिम आवंटित कर किसी भी बैंक/पी०एल०ए० में जमा नहीं की जायेगी तथा आवंटित धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति दिनांक 15-03-2013 तक प्रगति के उपलब्ध करायी जायेगी।

2. यह योजना वृक्षों की भाँति मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के दृष्टिकोण से उल्लिखित जनपदों में प्रत्येक जनपद में 0.5 हेक्टेयर जलोढ़ के निजी क्षेत्र/ताम्रदायिक क्षेत्र में ढाँचे पर आवंटित एक-एक तालाब में संचालित करायी जायेगी। 0.5 हे० जलोढ़ के एक यूनिट में पाली गद्दी मछली के साथ 20000 शींगा का बीज वित्तित कराया जायेगा।

3. प्रदेश में झींगा बीज उपलब्ध न होने के कारण झींगा बीज आईसीओ एओआरओ के केन्द्रीय संसाधनों अथवा बालासोर, उड़ीसा स्थित निजी क्षेत्र की झींगा हैचरी से क्रय कर हवाई मार्ग से यथा स्थित चयनित जनपदों के चयनित मत्स्य पालकों को सम्बन्धित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर रुपये 1/- यातायात सहित प्रति झींगा बीज की दर से 20,000 झींगा के बीज पर रु० 20,000/- का व्यय होगा। झींगा बीज के पोषण हेतु प्रयुक्त आहार {झींगा फीड} धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा। सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत कंपनियों/आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति करायी जायेगी। 0.5 हे० यूनिट के लिए झींगा बीज के फीड हेतु कुल रुपये 50,000/- {पचास हजार} का व्यय होगा।

4. झींगा पालन हेतु झींगा पालकों को 50 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम रुपये 25,000/- अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि जल भराव आदि कार्यों पर होने वाला व्यय झींगा पालकों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन किया जायेगा अर्थात् आवश्यकतानुसार बैंक वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. झींगा पालन में तकनीकी जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी झींगा पालकों को सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा साप्ताहिक/प्रादिक आधार पर निरीक्षण कर तकनीकी जानकारी कार्य स्थल पर सुलभ करायी जायेगी।

6. योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन निदेशालय मत्स्य द्वारा निर्धारित मापदण्डों/दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अधिकाधी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की देख-रेख एवं प्रभावी नियंत्रण में सम्पन्न कराया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता अवाञ्छनीय होगी।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखा-शीर्षक *2405-मछली पालन आयोजनागत-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04-मत्स्य विकास कार्यक्रम-0407-झींगा पालन 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।



... 3. ...

9. उद्देश्य निम्नलिखित है : जिला : बि. सं. दा. बी-1-1515/दर-
2012-231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में प्राप्त आग निदेशों के अनुरूप जारी
रिपोर्ट रहे हैं।

संलग्न-उपरोक्त।

भवदीय,



॥ क्षेत्रपाल ॥
उप सचिव।

सं. दा. 2454.1./सं.दा-EC-2012 तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के लूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. हाताशकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. संवन्धित मण्डल, दुधौ, उत्तर प्रदेश।
3. संवन्धित जिलाधिकारी/बोधाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक आ. य., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनु01/नियोजन-3
6. गांधी फाउंडेशन/संवन्धित मीडिया अधिकारी।

आ. त. से,



क्षेत्रपाल ॥
उप सचिव।

आवेदन संख्या: 2454/सं.सं.सं. 2012-11-3-पि. 5/2010 दिनांक
09 नवम्बर, 2012 का संलग्न ।

धनराशि ₹०० लाख में					
क्र.सं.	जनपद	स्थापित की जाने वाली यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल हे० में	प्राप्त यूनिट कुल लागत	50 प्रतिशत दे० अनुदान हेतु आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	गोरखपुर	01	0.50	0.50	0.25
2.	महराजगंज	01	0.50	0.50	0.25
3.	देवरिया	01	0.50	0.50	0.25
4.	भुशीनगर	01	0.50	0.50	0.25
5.	सिद्धार्थनगर	01	0.50	0.50	0.25
5.	संतोषीरनगर	01	0.50	0.50	0.25
6.	गोण्डा	01	0.50	0.50	0.25
8.	कु	01	0.50	0.50	0.25
योग		08	4.00	4.00	2.00

रकम दो लाख मात्र


उप सचिव ।